न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या —118 / 2016 अपील (RCMS/2016/00021)
पंजीयन दिनांक —29.11.2016
निर्णय दिनांक —17.12.2018

1. श्री शान्तिलाल ब्राह्मण पिता नाथूलाल ब्राह्मण, निवासी टीकड़, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती नोजीबाई पुत्री जोरा जी ब्राह्मण, निवासी टीकड़, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द।
2. श्रीमती कन्नीबाई पुत्री जोरा जी ब्राह्मण, निवासी टीकड़, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द।
3. श्रीमती भग्गुबाई पुत्री जोरा जी ब्राह्मण, निवासी टीकड़, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द।
4. श्रीमती सुन्दरबाई पुत्री जोरा जी ब्राह्मण, निवासी टीकड़, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द।
5. श्रीमती लीला पुत्री शंकर जी ब्राह्मण, निवासी टीकड़, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द।
6. श्रीमती गंगा विधवा शंकर जी ब्राह्मण, निवासी टीकड़, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द।
7. ग्राम पंचायत खाखरमाला पंचायत समिति आमेट, जिला राजसमन्द।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री सम्पतलाल बोहरा — वकील अपीलान्ट
2. श्री सुरेश सांखला — वकील रेस्पोडेंट संख्या—1 व 6

अपील अर्न्तगत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट प्रकरण संख्या 03 / 2015 दिनांक 22.11.2016

निर्णय

दिनांक 17.12.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट प्रकरण संख्या 03/2015 दिनांक 22.11.2016के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेट समक्ष रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 द्वारा ग्राम पंचायत खाखरमाला द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 337 दिनांक 20.04.2009 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्व. हीरी बाई के विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने दौरान अपीलान्ट श्री शान्तिलाल पिता नाथूलाल का नाम की गलत तरीके व विधिक त्रुटि से जोड़ दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट द्वारा निर्णय दिनांक 22.11.2016 से उक्त अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 337 निरस्त कर तहसीलदार, आमेट को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया कि मृतक हीरी बाई के वारिसान के नाम पर नामान्तरकरण तस्दीक किया जावें।

उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 04.12.2018 को सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि विवादग्रस्त जमीन मौजा कोटेश्वर महादेव जी के नाम दर्ज होकर हीरी बेवा जोरा इसकी उपकृषक दर्ज थी तथा उपकृषक कृषक की परिभाषा में आते है। हीरी को उक्त जमीन वसीयत करने का पूरा अधिकार है। वसीयत भी टेस्टामेन्ट्री सक्सेशन होता है तथा यह जमीन विरासत से आना ही माना जाता है। उपकृषक को अपनी जमीन की वसीयत करने का पूरा अधिकार है क्योंकि हीरी वृद्ध थी व काम नहीं कर सकती थी। इस कारण मन्दिर की सारी सेवा पूजा का कार्य अपीलांट की करता था, साथ–साथ हीरी को भी सेवा का कार्य अपीलान्ट ही करता था। हीरी बाई की मृत्यु दिनांक 21.07.2008 को हुई थी तथा नामान्तरकरण दिनांक 18.12.2008 को भरा गया था एवं उसकी जांच दिनांक 12.02.2009 को हुई तथा उसके बाद ग्राम पंचायत के समक्ष पहली बार रखकर उसी समय स्वीकृत कर दिया गया था। यह 45 दिवस के पश्चात् नहीं कर यह 45 दिन के अन्दर ही स्वीकृत दिया गया था। कथित म्यूटेशन केवल अपीलान्ट के नाम ही किया जाना आवश्यक था क्योंकि हीरी बाई ने कथित जायदाद का विक्रय भी अपीलान्ट के हक में

किया। यहा तक कि वसीयत भी हीरीबाई ने अपीलान्ट के हक में कर दी। कथित जमीन का मालिक काबिज अपीलान्ट ही है। रेस्पोडेंट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि म्यूटेशन भी रेस्पोडेंट के नाम गलत खुला है जबकि वसीयत के आधार पर कथित जमीन का म्यूटेशन अपीलान्ट के नाम खुलना चाहिए। सन् 1980 में जमीन के विक्रय उपरान्त अपीलान्ट को कब्जा सिपुर्द कर दिया गया है। तथाकथित विक्रय पत्र को रेस्पोडेंट द्वारा किसी भी न्यायालय में चैलेन्ज नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत न मानकर जो आदेश पारित किया व मुकदमा रिमांड किया, वह बिना अधिकार के व विधि विरूद्ध है। वसीयत भी टेस्टामेन्ट्री सक्सेशन है तथा वह वसीयत से वारिस होता है तथा ऐसे वारिस के नाम म्यूटेशन खोला जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील 7 वर्ष मयाद बाहर थी तथा मयाद कण्डोन नहीं कर जो आदेश पारित किया, वह बिना अधिकार के है। हीरी बाई उपकृषक होकर खातेदार कृषक की परिभाषा में आती है तथा वसीयत करने का पुरा अधिकार होने से यह नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर किया गया जो बिल्कुल नियमानुसार किया गया है। इस मामलें में वसीयत नियमानुसार हीरी बाई ने शान्तिलाल के हक में की गई है। अन्त में विद्वान वकील अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाकर अपीलांट के हक में वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 ने अपनी बहस में बताया कि स्व. हीरी बाई के विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने दौरान अपीलान्ट श्री शान्तिलाल पिता नाथूलाल का नाम की गलत तरीके व विधिक त्रुटि से जोड़ दिया गया है। हीरी बाई बेवा स्व. जोरा के चार पुत्री कन्नी, नोजी, भग्गु, सुन्दरबाई एवं पुत्र शंकर है। पुत्र शंकर का स्वर्गवास होकर उसके वारिसान उसकी पत्नि गंगा व पुत्री लीला है। हीरी बाई की मृत्यु दिनांक 21.07.2008 हो होना एवं पटवारी द्वारा दिनांक 18.12.2008 को नामान्तरकरण भरना दर्शित होता है, जिसकी जांच आईएलआर ने दिनांक 12.02.2009 के की थी, इसकी गणना करने पर ग्राम पंचायत द्वारा 45 दिवस के बाद अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर शान्तिलाल का नाम जोड़ म्युटेशन स्वीकृत करने में त्रुटि की थी। पटवारी ने म्युटेशन सीट में अपीलान्ट शान्तिलाल को श्रीमती हीरीबाई के वारिसान के रूप में नहीं दर्शाया है तथापि ग्राम पंचायत ने बिना कोई कारण बताये शान्तिलाल को हीरीबाई का वारिसान बताते हुए नामान्तकरण में उसका नाम जोड़ दिया। उक्त नामान्तरकरण कार्यवाही के दौरान रेस्पोडेटस् संख्या 1 से 6 को नहीं सुना गया व न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार किया और प्रकरण में निष्पक्षता से दस्तावेजों की जांच नामान्तकरण को विधि विरूद्ध मानकर निर्णय पारित किया है, जो पूर्णतया विधिसम्मत

है। अन्त में विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 ने अपील अपीलान्ट अस्वीकार फरमाई जाने का अनुरोध किया है।

हमने उभय पक्ष के उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट के दृढ़ता से तर्क किया कि सन् 1980 में जमीन के विक्रय उपरान्त अपीलान्ट को कब्जा सिपुर्द कर दिया गया है। तथाकथित विक्रय पत्र को रेस्पोडेंट द्वारा किसी भी न्यायालय में चैलेन्ज नहीं किया गया है। यहा तक की वसीयत भी हीरीबाई ने अपीलान्ट के हक में कर दी। कथित जमीन का मालिक काबिज अपीलान्ट ही है। हीरी बाई उपकृषक होकर खातेदार कृषक की परिभाषा में आती है तथा वसीयत करने का पुरा अधिकार होने से यह नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर किया गया जो बिल्कुल नियमानुसार किया गया है। इस मामलें में वसीयत नियमानुसार हीरी बाई ने शान्तिलाल के हक में की गई है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–1 से 6 ने कथन किया कि स्व. हीरी बाई के विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने दौरान अपीलान्ट श्री शान्तिलाल पिता नाथूलाल का नाम की गलत तरीके व विधिक त्रुटि से जोड़ दिया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों से विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है।

प्रस्तुत तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि निर्णय दिनांक 22.11.2016 पारित किये जाने के समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं उपरोक्त तथ्यों पर पूर्णतया विचार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी, आमेट का निर्णय दिनांक 22.11.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी, आमेट को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों का परिक्षण कर एवं तथ्यों की जांच करा नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय दिनांक 17.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर